छत्तीसगढ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 11/02/2004

क्रमांक एफ–10/ 4 /2004/वाक/पांच (9) – केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956), की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/392/2001/ वाक/पॉच (71), दिनांक 12.11.2001, में राजपत्र में प्रकाशन दिनांक की प्रभावशीलता से निम्नानुसार संशोधन करती है, यथा, –

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में –

(i). अनुक्रमांक 1 के सामने कालम (2) में शब्दों, "प्रवर्ग (चार) " के पश्चात् शब्दों "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" को जोडा जाए।

(ii). अनुक्रमांक 2 के सामने कालम (2) में शब्दों, "प्रवर्ग (चार) " के पश्चात् शब्दों "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" को जोडा जाए।

(iii). अनुक्रमांक 3 के सामने कालम (2) में शब्दों, "प्रवर्ग (चार) " के पश्चात् शब्दों "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" को जोडा जाए।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 11/02/2004

क्रमांक एफ–10/ 4 /2004/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण मे, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/4 /2004/वाक/पांच (9), दिनांक 11/2/04 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 11/02/2004

No. F-10/ 4 /2004/CT/V (9) - In exercise of powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following amendments in this department Notification No. F-10/392/2001/CT/V (71), dated 12.11.2001, with effect from the date of publication in official gazette, namely, -

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification -

(i). In column (2) against serial No. 1 after the words " categories (iv)" the words "other than rounds or rods in coil form" shall be inserted.

(ii). In column (2) against serial No. 2 after the words " categories (iv)" the words "other than rounds or rods in coil form" shall be inserted.

(iii). In column (2) against serial No. 3 after the words " categories (iv)" the words "other than rounds or rods in coil form" shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.

(signature)

(K.R. Misra)
Deputy secretary

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

छत्तीसगढ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी, 2004

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच (22) – केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956), की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/392/2001/ वाक/पॉच (71), दिनांक 12.11.2001, में निम्नानुसार संशोधन करती है, यथा, –

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, अनुक्रमांक 1 के सामने कालम (4)(ख) में अंक एवं शब्द "1 प्रतिशत" के स्थान पर अंक एवं शब्द "2 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए, एवं

2. अनुक्रमांक 2 के सामने कालम (3) में अंक एवं शब्द "1 प्रतिशत" के स्थान पर अंक एवं शब्द "2 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए।

3. ये संशोधन 01.04.2004 से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2004

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच (22), दिनांक 23.02.2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 23rd February, 2004

No. F-10/ 6 /2004/CT/V (22) - In exercise of powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following amendments in this department Notification No. F-10/392/2001/CT/V (71), dated 12.11.2001, namely, -

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification, in column (4)(b) against serial No. 1 for the figure and word "1 percent" the figure and word "2 percent " shall be substituted, and

2. In column (3) against serial No. 2 for the figure and word "1 percent" the figure and word "2 percent" shall be substituted.

3. These amendments shall come into force with effect from 01.04.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.

(K.R.Misra)
Deputy secretary

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी, 2005

क्रमांक एफ-10/ 6 /2004/वाक/पांच/(24) - केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है -

संशोधन

नीचे दी गई अधिसूचनाओं में कालावधि से संबंधित अंक "2004" के स्थान पर अंक "2005" प्रतिस्थापित किए जाएं :-

अ.क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक
1.	एफ-10/392/2001/वाक/पॉच (71)	12.11.2001
2.	एफ-10-16/2002/वाक/पॉच (16)	12.02.2002
3.	एफ-10/43/2002/वाक/पॉच (54)	02.05.2002
4.	एफ/10-15/2002/वाक/पॉच (83)	17.07.2002
5.	एफ-10-71/2003/वाक/पॉच (102)	06.10.2003

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर दिनांक 23 फरवरी, 2005

क्रमांक एफ-10/ 6 /2004/वाक/पांच/(24)-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/ 6 /2004/ वाक/पांच/(24) दिनांक 23.02.2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

NOTIFICATION

Raipur, Dated 23rd February, 2004

No.F-10/ 6 /2004/CT/V(24) - In exercise of Powers conferred by section 8 (5) of Central Sales Tax Act, 1956 (No.74 of 1956) the state government hereby makes the following amendment:-

AMENDMENT

In the notifications given below for the figure related to period "2004", the figure "2005" shall be substituted: -

S.No.	Notification No.	Date
1.	F-10/392/2001/CT/V (71)	12.11.2001
2.	F-10-16/2002/CT/V (16)	12.02.2002
3.	F-10/43/2002/CT/V (54)	02.05.2002
4.	F/10-15/2002/CT/V (83)	17.07.2002
5.	F-10-71/2003/CT/V (102)	06.10.2003

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

छत्तीसगढ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 25/03/2004

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच (47) – केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956), की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पॉच (23), दिनांक 23.02.2004, में निम्नानुसार संशोधन करती है, यथा, –

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, अनुक्रमांक 10 के सामने कालम (3) में अंक "1" के स्थान पर अंक "2" प्रतिस्थापित किया जाए।

2. यह संशोधन 01.04.2004 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 25/03/2004

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच (47), दिनांक 25/03/2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 25/03/2004

No. F-10/ 6 2004/CT/V (47) - In exercise of powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following amendment in this department Notification No. F-10/6/2004/CT/V (23), dated 23.02.2004, namely, -

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification, in column (3) against serial No. 10 for the figure "1" the figure "2" shall be substituted.

2. This amendment shall come into force with effect from 01.04.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy secretary

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

छत्तीसगढ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 30.06.2004

क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच (58) – केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 1956), की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पॉच (23), दिनांक 23.02.2004, में निम्नानुसार संशो करती है, यथा, –

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में –

(क) अनुक्रमांक 6 एवं उससे संबंधित प्रविष्टि विलोपित की जाए

(ख) अनुक्रमांक 15 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक अंतर्स्थापित किया जाए –

अ. क्र.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्ययीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	स्पंज आयरन	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	

2. ये संशोधन 01.07.2004 से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुस

(डी.एस. मिश्र)
सचिव

रायपुर, दिनांक 30.06.2004

क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच (58), दिनांक 30.06.2004 का अंग्रेजी अनु राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुस

(डी.एस. मिश्र)
सचिव

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 30.06.2004

No. F-10/6/2004/CT/V (58) - In exercise of powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956). the State Government hereby makes the following amendments in this department Notification No. F-10/6/2004/CT/V (23), dated 23.02.2004, namely, -

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification -

(i) serial number 6 and entry related there to shall be omitted.

(ii) after serial number 15 the following serial number shall be inserted-

S. No.	Class of goods	Extent of Exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	Sponge Iron	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent	

2. These amendments shall come into force with effect from 01.07.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(D.S. Misra)
Secretary

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 23/10/2004

क्रमांक एफ 10/32/2004/वाक./पांच (79)– केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956), की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/6/2004/वाक./पांच, दिनांक 23.02.2004, में निम्नानुसार संशोधन करती है, यथा, –

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 16 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक अंतर्स्थापित किया जाए –

अ. क्र.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्ययीन रहते हुये छूट प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	आर्गनिक कंपोजिट साल्वेंट	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाये।	

2. यह संशोधन दिनांक 01.11.2004 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

रायपुर, दिनांक 23/10/2004

क्रमांक एफ 10/32/2004/वाक./पांच (79)– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/32/2004/वाक./पांच (79), दिनांक 23/10/2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE AND PLANNING DEPARTMENT
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, dated 23 / 10/ 2004

No F -10 / 32 / 2004 / CT / V (79)- In exercise of powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following amendment in this department Notification No. F-10/ 6 / 2004 / CT / V (23), dated 23-02-2004, namely. -

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification after serial number 16 the following serial number shall be inserted -

S.No.	Class of goods	Extent of Exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Organic Composite Solvent	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent	

2. This amendment shall come into force from 01.11.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

छत्तीसगढ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 10/11/2004

क्रमांक एफ–10/ 4 /2004/वाक/पांच (86) – केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956), की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/392/2001/ वाक/पॉच (71), दिनांक 12.11.2001, में निम्नानुसार संशोधन करती है, यथा, –

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में –

(i). अनुक्रमांक 1 के सामने कालम (2) में, शब्दों "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" को विलोपित किया जाए।

(ii). अनुक्रमांक 2 के सामने कालम (2) में, शब्दों "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" को विलोपित किया जाए।

(iii). अनुक्रमांक 3 के सामने कालम (2) में, शब्दों "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" को विलोपित किया जाए।

2. उक्त संशोधन 11.02.2004 से प्रभावशील माने जायेंगे।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 10/11/2004

क्रमांक एफ–10/4 /2004/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/4 /2004/वाक/पांच (86), दिनांक 10/11/04 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

NOTIFICATION

Raipur, Dated 10/11/2004

No. F-10/ 4 /2004/CT/V (86) - In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following amendments in this department Notification No. F-10/392/2001/CT/V (71), dated 12.11.2001, namely, -

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification -

(i). In column (2) against serial No. 1 the words "other than rounds or rods in coil form" shall be omitted.

(ii). In column (2) against serial No. 2 the words "other than rounds or rods in coil form" shall be omitted.

(iii). In column (2) against serial No. 3 the words "other than rounds or rods in coil form" shall be omitted

2. These amendments shall be deemed to have come into force with effect from 11.02.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy secretary